उत्तर प्रदेश में मोदीनगर की चिटफंड कम्पनियों का बन्द किया जाना

3683. **श्री निहाल सिंह:**
श्री राम अवध:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मोदीनगर की श्रमिक बस्ती में कार्य कर रही बहुत सी चिटफंड कम्पनियों पर लाखों रुपये का घोटाला करने और हजारों लोगों को धोखा देने के आरोप हैं और अब इन कम्पनियों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और इन दोषी चिटफंट कम्पनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या चिटफंड कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में भी ऐसी अनियमितताएं करने की शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन): (क) और (ख). रिजर्व बैंक के पास, मोदीनगर (यू.पी.) में चिटफंड कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। फिर भी, फर्मों, समितियों तथा चिट्स के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि गरुड़-चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पंजीकृत कार्यालय बम्बई में और केन्द्रीय कार्यालय मद्रास में है, उसकी एक शाखा मोदीनगर में है रजिस्ट्रार के रिकार्ड में मोदीनगर में किसी अन्य चिटफंड कम्पनी की शाखा खुलने और बन्द होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

उपर्युक्त कम्पनी की विभिन्न शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर फर्मों, समितियों तथा चिटों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ ने यू.पी. चिटफंड नियम, 1975 के अन्तर्गत 9-7-1980 को कम्पनी पर मुकदमा चलाने की दृष्टि से कम्पनी की लखनऊ शाखा के रिकार्डों को जब्त कर लिया था। रजिस्ट्रार ने कम्पनी की उत्तर प्रदेश में स्थित शाखाओं के सम्बन्ध में यू. पी. चिट फंड अधिनियम, 1975 की शर्तों के अन्तर्गत मियादी जमा के रूप में कुल 1,89,500/- रुपये की प्रतिभूतियां भी प्राप्त की हैं। कम्पनी ने यू. पी. चिट फंड अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के कतिपय उपबंधों के प्रवर्तन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया है। रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा इन्हें निरस्त कराने का उपाय कर रहा है।

(ग) परम्परागत चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में अभिदाय राशियों की तथा उन पर देय ब्याज की अदायगी नहीं किये जाने के बारे में समय-समय पर आरोपित शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। चूंकि न तो सरकार को और न ही भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाई करने की सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए शिकायत-कर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संविदा भंग के मामलों में सामान्यत: उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। जहां तक इनामी चिटों का सम्बन्ध है, इनामी चिट्स तथा मुद्रा परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अन्तर्गत उन पर पाबन्दी लगा दी गई है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के अन्तर्गत कारवाई करने के लिए सक्षम हैं। अखिल भारतीय स्तर परम्परागत चिट फंड व्यवसाय के परिचालन के व्यवहार को विनियमित करने के लिए संसद में एक चिट फंड विधेयक पेश किया गया है।

Exploration and assessment of mineral by Minerals Department of Madhya Pradesh

3684. SHRI DILEEP SINGH BHURIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Minerals Department of Madhya Pradesh had taken in hand 2 years ago the work of exploration

and assessment of minerals in the country applying modern techniques under U.N. Development programme and if so, the names of the places in Madhya Pradesh where such exploration work was undertaken under this programme and the results thereof;

(b) whether there is also a proposal to undertake the work of exploration of minerals in Jhabua district of Madhya Pradesh under the U.N. Development programme; and

(c) if so, the time by which this work will be started in Jhabua district?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir. Exploration works have been carried out for tin in Bastar area; for copper in west Bastar area (Block 1), Tongpal region, Malanjkhand area and in Block Q, Bundelkhand region; for lead and zinc in Chauraiya area, Damoh district; for gold in Barjor (Raigarh area), for Pyrophyllite--Diaspore in Bundelkhand area. The results appear to be encouraging.

(b) and (c). A reconnaissance exploration survey for Jhabua district is planned for 1981.

Chairmen and Managing Directors of Public Undertakings on Extension Service

3685. SHRI K. RAMAMURTHY:
SHRI ARVIND NETAM:

Will the Milnister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of public sector undertakings whose Chairmen and Managing Directors are on extension after their superannuation;

(b) the names of public sector undertakings who do not have either Chairmen or Managing Directors for some months now; and

(c) the action proposed to be taken for filling up these posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SWAISINGH SISODIA): (a) Presumably, the Hon'ble Members have in mind the persons who have been appointed as Chief Executives of Public Enterprises who are above 58 years and also that they have in mind the full-time Chairmen, since in majority of the cases part-time Chairmen, are above 58 years and they do not function as full-time Chief Executives of the Public Enterprises.

According to the available information the Chief Executives of the following enterprises have crossed the age of 58 years:—

1. Air India.
2. Fertilizer Planning & Development (I) Ltd.
3. Hindustan Machine Tools Ltd.
4. Indian Airlines Corpn.
5. Mazagon Dock Ltd.
6. Metal Scrap Trade Corpn.

(b) and (c). Out of 189 enterprises the posts of 9 part-time Chairmen and 25 posts of Chief Executives were vacant as on 5-12-1980. These posts are indicated in the statement. Out of these the Public Enterprises Selection Board have finalised the selection of 6 posts of part-time Chairmen and 22 posts of Chief Executives. The recommendations of the Board are under consideration of the Government. In the case of Chief Executives, *ad hoc* arrangements are made to ensure that the work of the enterpise does not suffer till a regular appointment is made.

Statement

Vacancies of Part-time Chairmen or Chief Executives in Public Enterprises as on 5-12-1980

A—Part-time Chairmen

1. Hindustan Antibiotics Limited.